वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर होंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

चर्चा में क्यों?

9 फरवरी, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने वरिष्ठ न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है।

प्रमुख बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कोलेजियम ने केंद्र सरकार से की गई सिफारिश में कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से खाली हुए पद पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की नियुक्ति की जाए।
- उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर 3 अक्तूबर 2018 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्त किये गए थे। यहाँ के वरिष्ठतम न्यायमूर्ति होने के नाते इन्हें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
- न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर का जन्म 22 नवंबर 1961 को हुआ था। उन्होंने दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से कानून में स्नातक किया है। 1984 में वे अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए।
- वे सेल, भारतीय स्टेट बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम, कोटक महिंद्रा बैंक, रायपुर दुग्ध संघ, सीबीएसई और कई अन्य नगर निगमों के स्थायी वकील रहे हैं।
- उन्हें जनवरी 2005 में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वह सात साल के लिये मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल और पाँच साल के लिये स्टेट बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ के सदस्य थे।
- 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वे पदोन्नत हुए। 21 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर अपने पद से रिटायर हो जाएंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/senior-justice-pritinkar-diwakar-will-be-the-chief-justice-of-allahabad-high-court